R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B Part IInd
Pape- Ist Family Law (Muslim Law)

क्या मस्जिद विधिक व्यक्ति है?

मौला बख्स बनाम हफीजउद्दीन के वाद में लाहौर उच्च न्यायालय ने निर्णय किया था कि मस्जिद विधिक व्यक्ति है। किंतु प्रिवी कौंसिल ने मस्जिद शहिद गंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी अमृतसर के वाद में यह कहा कि मस्जिद न तो वाद दायर कर सकती है और न ही इसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है। इस वाद में 1772 ई० में लाहौर नगर में भूमि के कुछ भाग को जिस पर मस्जिद निर्मित थी; वक्फ में समर्पित कर दिया गया था। परंतु 1762 ई० में भवन तथा उससे संलग्न भूमि का भाग सिक्खों के अधिकार एवं कब्जे में था। सन् 1849 ई० में लाहौर नगर तथा उसके आस-पास के भाग ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गये तो मस्जिद का भवन, संलग्न भूमि और अन्य सम्पत्ति जो कि वक्फ में समर्पित हो गए थे, सिक्खों के कब्जे में चले गये। गुरुद्वारा तथा मस्जिद की देखभाल सिक्खों द्वारा की जाती थी। सन् 1925 ई० में सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम (पंजाब अधिनियम संख्या viii 1925) पास हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पुरानी मस्जिद का भवन और उससे संलग्न भूमि को गुरुद्वारे की

Scanned with CamScanner

को भूमि बतलाया गया था। सन 1932 ई० में कुछ मुसलमानों द्वारा गुरुद्वारे के विरुद्ध सिख गुरुद्वारा ट्रिब्युनल के समक्ष वाद दायर किया गया। मुसलमानों का कहना यह था कि उक्त भूमि एवं सम्पत्ति मस्जिद में समर्पित वक्फ-सम्पत्ति है और वह गुरुद्वारे की सम्पत्ति नहीं थी। न्यायाधिकरण ने प्रतिकूल कब्जे एवं पूर्ववर्ती निर्णयों को आधार मानते हुए दावे को विफल कर दिया। परिणामस्वरूप सम्पत्ति एवं भवन प्रतिवादी के कब्जे में दिये गये और 7 जुलाई 1935 ई० को सिखों की मनोनुकूल साम्प्रदायिक द्वेष भावना भावना के प्रभाव में उक्त भवन को अचानक गिरवा दिया गया।

उपर्युक्त वाद में, जो कि तत्पश्चात अपील में परिवर्तित हो गया था, को 18 वादियों ने फाईल किया था। इनमें से प्रथम वादी जो स्वयं मस्जिद थी ने दूसरे व्यक्ति के जरिये वाद फाइल किया था। दूसरे वादियों और लोगों में कुछ महिलायें भी शामिल थी। इन तर्क यह था कि उनके मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार था। मुकदमा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एवं लाहौर में स्थित कमेटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द नोटीफाइड सिख गुरुद्वारे के विरुद्ध लाया गया था। विवादग्रस्त सम्पत्ति इन्हीं के कब्जे में थी। वाद में अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात का भी अनुरोध किया गया था कि यह घोषणा की जाय कि उक्त भवन वास्तव में मस्जिद थी जिसमें वादियों एवं अन्य इस्लाम के मानने वालों को नमाज पढ़ने का अधिकार था। आगे भवन को फिर से बनवाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

Scanned with CamScanner

इस वाद में प्रिवी कौंसिल ने तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था —

(i) परिसीमा के बारे में — परिसीमा के नियम वाद पर लागू होते हैं। इन नियमों को वाद आरंभ करने की तारीख से लागू होना चाहिए क्योंकि परिसीमा विधि का विषय है। भारत के मस्जिद के मामले में भारतीय परिसीमा अधिनियम लागू होता है।

(ii) मस्जिद के विधिक व्यक्ति होने के बारे में —

प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तुत वाद में यह निर्णीत करना आवश्यक नहीं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में या किसी कार्य के लिए किसी भी इस्लामिक संस्था को कानून के अंतर्गत विधिक व्यक्ति माना जा सकता है। परंतु यह कहना पर्याप्त होगा कि कृत्रिम व्यक्तियों के रूप में ब्रिटिश भारत में मस्जिद द्वारा न तो वाद किये जा सकते हैं और न ही उनके विरुद्ध वाद लाये जा सकते हैं।

(iii) मुस्लिम विधि को अभिनिश्चित करने के बारे में :—

मुस्लिम विधि इस देश की विधि है। यह कोई विदेशी विधि नहीं है। परिणामस्वरूप विधि का संरक्षण करना एवं उसको लागू करना न्यायालयों का कर्तव्य है। इस कार्य के लिए उनको गवाहों के मत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वे इस मामले में कितने ही विद्वान व्यक्ति हों।

प्रिवी कौंसिल ने इस वाद में इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या मस्जिद को किसी भी कार्य के लिए विधिक व्यक्ति माना जा सकता है

(4)

अलबत्ता राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में पहल की तथा शफीउद्दीन बनाम चतुर्भुज के वाद में निर्णीत किया कि मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में मस्जिद के नाम रेवेन्यु कागजात में बहुधा सम्पत्ति दर्ज रहती है और कभी कभी भूमि का आवंटन सीमांकन भी मस्जिद के नाम होता है, तो मस्जिद क्या सम्पत्ति को विधिक व्यक्ति की हैसियत से धारण नहीं करती? ऐसा लगता है कि उसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों प्रकार से हो सकता है।